पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

जनवरी, 2023 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 :-

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्वतंत्रता-पूर्व काल के केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 की समीक्षा और युक्तिकरण के पश्चात् संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया है।

असाधारण पेंशन नियम संशोधित निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन की पात्रता या हकदारी की शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई है, तथापि उन्हें व्यापक बनाने और अधिक स्पष्टता लाने के लिए नियमों में निम्नलिखित नए प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं -

- इन नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित किया गया है कि यदि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अधीन इस आशय का विकल्प दिया जाता है तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी भी इन नियमों के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।

- निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति के लिए कर्मचारी/परिवार से किसी आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कार्यालय अध्यक्ष स्वयं इस प्रक्रिया को आरंभ करेगा।

- प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन की मंजूरी करने के लिए सक्षम होंगे और वह इस शक्ति को संबंधित विभाग या संगठन में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

- प्राधिकारी ऐसे मामलों में भी निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन को संस्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा, जो दिशानिर्देशों द्वारा सख्ती से कवर नहीं किए गए हैं, किंतु अन्यथा माना गया है कि कारण सरकारी सेवा है।

- ऐसे मामलों में भी नि:शक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की जा सकेगी जो दिशानिर्देशों द्वारा सख्ती से कवर नहीं किए गए हैं, किंतु अन्यथा माना गया है कि कारण सरकारी सेवा है, सक्षम प्राधिकारी मंजूरी देगा।

- यदि उक्त प्राधिकारी का मृत्यु और सरकारी सेवा के मध्य कारण संबंध के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामलों में भी कुटुंब पेंशन मंजूर कर सकेगा, जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

- वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की स्वीकार्यता की बाबत संशोधित नियमों में प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

- बीमारियों की सूची से संबंधित अनुसूची-I को कोविड-19 जैसी महामारी सहित कुछ अतिरिक्त बीमारियों को सम्मिलित करके अद्यतित किया गया है, जो ड्यटी करने के दौरान संक्रमण से हुई हो।

- नियमों में एक नई अनुसूची (अर्थात् अनुसूची-III) सम्मिलित की गई है जिसमें ऐसी परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या निःशक्तता होने को श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ के अधीन सरकारी सेवा के कारण हुआ माना गया है।

- प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक मौसम स्थिति के कारण निर्दिष्ट ऊंचाई, दुर्गम सीमा चौकियों आदि में ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु और निःशक्तता को श्रेणी ग में सम्मिलित किया गया है और युद्ध-ग्रस्त विदेशी देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किए गए आपरेशन के दौरान होने वाली मृत्यु या निःशक्तता को श्रेणी घ में सम्मिलित किया गया है।

- भविष्य के माध्यम से निःशक्तता पेंशन एवं असाधारण कुटुंब पेंशन के मामलों पर कार्यवाही करने हेतु संशोधित नियमों में विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

- असाधारण पेंशन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन एवं कुटुंब पेंशन पर कार्रवाई करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- असाधारण पेंशन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन पर लंबित निर्णय/संदाय होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अधीन अनंतिम पेंशन दी जाएगी।

- कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि निःशक्तता पेंशन और कुटुंब पेंशन की मंजूरी के सभी मामलों पर समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई हो और अंतिम पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लंबित होने पर, यथास्थिति, अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन, संस्वीकृत/संदत्त की जाती है।

- विलंब होने की दशा में, पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा तथा विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

2. जुलाई-दिसंबर, 2022 से मंत्रालयों/विभागों को जारी पेंशन नीति पर स्पष्टीकरण/सुझावों की बाबत वृत्त- अध्ययन को संकलित किया गया है और सचिव (पेंशन) के दिनांक 20.01.2023 के अर्ध-शासकीय पत्र द्वारा मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित किया गया।

सीपेनग्राम्स

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भविष्य पोर्टल पर पीपीओ जारी करने में होने वाले विलंब, पेंशन शिकायतों के निपटान में विलंब और सीपेनग्राम्स पोर्टल में लंबित अपीलों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 02.01.2023 को सचिव (पेंशन & पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 52 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

4. इस माह के दौरान, 4526 शिकायतें दर्ज की गई और 4526 का निपटान किया गया। दिनांक 31 जनवरी, 2023 को अंत शेष 3160 है। विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:-

	दिनांक 01/01/2023 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31/12/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3160	4526	4526	2178	3160

भविष्य पोर्टल

5. अपर सचिव (पेंशन) की अध्यक्षता में दिनांक 13 जनवरी, 2023 को पुणे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए 'भविष्य' पर कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 13 जनवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद में एक अन्य

कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

6. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 818 संबद्ध कार्यालयों में 7939 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से 36406 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 186948 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से जनवरी, 2023 मास में 3732 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

7. विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 120वें रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, राज्यसभा सचिवालय को प्रस्तुत की गई।

अनुभव

8. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8938 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.01.2023 तक 'अनुभव पोर्टल' के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4742 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। जनवरी, 2023 मास में, अनुभव के 40 आलेख प्रकाशित किए गए।

9. इस विभाग ने 22 नवंबर 2022 से एक राष्ट्रव्यापी वेबिनार श्रृंखला "अनुभव अवार्डी स्पीक" का शुभारंभ किया है। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य संबद्ध हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। इस वेबिनार श्रृंखला में अपने अनुभव साझा करने और अनुभव पोर्टल पर अपने स्वयं के अनुभवों को डालने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रेरित करने/जागरूकता लाने के लिए दो अनुभव पुरस्कार विजेताओं को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। वेबिनार को मासिक आधार पर आयोजित किया जाएगा। श्रृंखला का दूसरा वेबिनार दिनांक 30.01.2023 को आयोजित किया गया था। सुश्री सी. शारदा प्रभाकर, वैज्ञानिक-जी, डीआरडीओ [अनुभव पुरस्कार विजेता, 2022] और डॉ. अप्रेन टी. जे., वैज्ञानिक/अभियंता-जी, अंतरिक्ष विभाग [अनुभव पुरस्कार विजेता, 2018] ने अपने अनुभव साझा किए। वेबिनार में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अनुभव पोर्टल से जुड़े अधिकारियों और अगले 3 मास में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार के दौरान लगभग 900 प्रतिभागी उपस्थित थे।

संकल्प

10. संकल्प: 'संकल्प' पहल के अंतर्गत विभाग ने अब तक 48 सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 6572 कर्मचारी लाभांवित हुए।

11. **जेम (GeM) के माध्यम से खरीद**:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जनवरी, 2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि की आपूर्ति के लिए 3,20,812/- रुपये की राशि के लिए 16 (सोलह) आदेश दिए हैं।

******